हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.2.21 पत्रावली पेश/ वकील उप. पत्रावली बहस हेतु दिनांक 9.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 9.3.21 पत्रावली पेश/ वकील उप. बहस प्रार्थना पत्र u/s 128 LRAct की सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 17.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 17.3.21 पत्रावली पेश/ वकील उप. प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र u/s 128 LRAct को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)	

उक्त विवाद को मिटाने के लिए हमारे खसरा नबंर 27/3293 रकबा 15.14 बीघा, ख.न. /3295 रकबा 02.00 बीघा, ख.न. 3308/27 रकबा 05.00 बीघा जो मौके पर एक चक है का व तरफ स्थित खसरा नबंर 27/3306 रकबा 11.07 बीघा का व खसरा नबंर 27 रकबा 11.07 ा का नापचौक करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के बीच की माठ की पत्थरगढी करवाने लिए तहसीलदार खींवसर को आदेश करने के श्रम करावें।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। और पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण के खेतों का सीमाज्ञान हो चुका है सकी फर्द ए मौका की प्रमाणित प्रति संलग्न है मगर पत्थरगडी नहीं होने से पक्षकारान के मध्य ाद ज्यों का त्यों बना हुआ है।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड से प्रार्थीगण उक्त खसरान का रिकोर्डेड खातेदार है और jasthan Land Revenue Act 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 (Raj. Land Rev. Act) Rule 34 Raj. Land Rev. (Land Record Rules) 1957 के अनुसार खातेदार अथवा गैर तेदार काश्तकार अपने खेताय का सीमांकन करवाकर सीमा चिन्ह स्थापित करवा सकता है। तथा ाज्ञान हो जाने से अपनी आराजी के पड़ोसीयों से रोज रोज के विवाद से भी नीजात मिल येगी। दोनो पक्षों में माठों को लेकर रोज रोज के विवाद भी नहीं होगा । अतः शांति व्यवस्था ये रखने हेतु एवं उक्त सभी समस्याओं का निराकरण हेतु प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर ादग्रस्त माठों का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी कराना मेरी राय में उचित है।

अतः पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, दस्तावेजात एवं बहस के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा.पत्र कार किया जाता है तथा तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिया जाता है की :-

आदेश

अतः तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया जाता है की प्रार्थीगण से नियमानुसार सींमाकन पत्थरगढी की फिस जमा करवाई जाकर मौजा भादुओं की ढाणी में प्रार्थीगण के खेत खसरा र 27/3293 रकबा 15.14 बीघा, ख.न.27/3295 रकबा 02.00 बीघा, ,ख.न. 3308/27 रकबा 05. बीघा जो मौके पर एक चक है का व पूर्वी तरफ स्थित खसरा नबंर 27/3306 रकबा 11.07 ा का व खसरा नबंर 27 रकबा 11.07 बीघा का नापचौक करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या के बीच की माठ की पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है।

नोट उक्तरोक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस आदेश की पालना की ।। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को सरे इजलासं सुनाया गया ।

राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर
उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)